न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी महेन्द्र लोढ़ा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 139/2018 दायरा दिनांक : 28.08.2018

उनवान

प्रेमबाई पुत्री सुल्तान सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम लसोडिया, तहसील पचपहाड भवानीमण्डी, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1– रोड सिंह पुत्र नारायण सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम लसोडिया, तहसील पचपहाड भवानीमण्डी, जिला झालावाड़

2– सुरेन्द्र सिंह आत्मज नारायण सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम लसोडिया, तहसील पचपहाड भवानीमण्डी, जिला झालावाड़

3– द्वारका बाई पुत्री नारायण सिंह पत्नी शंकर सिंह, जाति राजपूत, निवासी करावल

4– शामू बाई पत्नी नारायण सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम लसोडिया, तहसील पचपहाड भवानीमण्डी, जिला झालावाड़

5– भगवान सिंह पुत्र सुल्तान सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम लसोडिया, तहसील पचपहाड भवानीमण्डी, जिला झालावाड़ हाल डूंगरखेडी

6– नारायण सिंह पुत्र भगवान सिंह जाति राजपूत, निवासी ग्राम लसोडिया, तहसील पचपहाड भवानीमण्डी, जिला झालावाड़ हाल डूंगरखेडी

7– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपहाड़

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री रघुवीर गौड अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री सी पी खण्डेलवाल अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

निर्णय दिनांक : 26.11.2020

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, भवानीमण्डी के प्रकरण संख्या – 7/दावा/2018 निर्णय व डिक्री दिनांक 11.06.2018 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि निर्णय एवं डिक्री अधीनस्थ न्यायालय विधि, न्याय एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के सर्वथा विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को समुचित सुनवाई, साक्ष्य एवं जवाबदेही का अवसर नहीं दिया । ग्राम लसोडिया तहसील पचपहाड की खाता संख्या 48/49 आराजी खसरा नम्बर 187/2 रकबा 3 बीघा वाके ग्राम लसोडिया में वादी एवं प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 3 के शामलाती खाते में दर्ज है जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के पिता द्वारा प्रतिवादी रेस्पोडेंट नम्बर 1 लगायत 4 के पिता ने वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 187/5 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 261 रकबा 17 बिस्वा कुल 2 किता की 3 बीघा 10 बिस्वा आराजी जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अपीलांट के पिता के हिस्से की आराजी का बेचान रेस्पोडेंट नम्बर 1 लगायत 4 के पिता नारायण सिंह को दिनांक 08.03.94 को दिया गया था । इस प्रकार रेस्पोडेंट नम्बर 1 लगायत 4 वादग्रस्त आराजी 3 बीघा 10 बिस्वा का खातेदार कृषक है । नारायण सिंह की मृत्यु के पश्चात नामान्तरकरण संख्या 254 से फोती इंतकाल रेस्पोडेंट नम्बर 1 लगायत 4 के पक्ष में खुला है । इस प्रकार रेस्पोडेंट नम्बर 1 लगायत 4 वादग्रस्त आराजी के खातेदार कृषक है । अधीनस्थ न्यायालय परगना अधिकारी महोदय भवानीमण्डी द्वारा रेस्पो. 1 लगायत 4 की खसरा नम्बर 187 वी जो कुछ 4 बीघा 15 बीस्वा थी में से अनोखबाई बेवा उदयसिंह, रामसिंह, गोपालसिंह, मेहरबानसिंह पिता उदयसिंह तथा गंगाराम आत्मज इन्दरसिंह के खाते में बीघा 5 बिस्वा आराजी दर्ज हो गई थी तथा शेष खसरा नम्बर 187 का रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा आराजी में रेस्पो. क्रम 1 लगायत 4 के साथ साथ अपीलान्ट व रेस्पो. न0 5 व 6 का नाम संलग्न हो गया। रेस्पो0 नं. 1 लगायत 4 का खसरा नम्बर 187 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा हिस्सा है जो रेस्पो0 नं0 1

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

लगायत 4 द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीदा है। वादीगण रेस्पों0 न0 1 लगायत 4 अपना खाता अलग करना चाहते है केडिट कार्ड बनाने व जमीन को उपजाऊ बनाने में परेशानी आ रही है तथा रेस्पोडेन्ट नं. 1 लगायत 4 का हिस्सा उनके नाम दर्ज होने से खाते मे कम हो गया जो काबिले दुरूस्त है तथा रेस्पों0 नं0 1 लगायत 4 खातेदारी घोषणा करवाने की पात्रता रखते हैं। खसरा नं0 187/2 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा के खातेदार है जो कि अपीलांट की पुश्तेनी आराजी होने से अपीलांट को जन्म से अधिकार प्राप्त है अपीलांट द्वारा वादग्रस्त आराजी का बेचान नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय में बिना अपीलांट को जवाबदेही, साक्ष्य व बिना सुनवाई के मेरिट पर व गुणाव–गुण के आधार पर निर्णय पारित किया जाना चाहिये था जिसका अभाव है । प्रकरण संख्या 412/99 से अपीलांट को वादग्रस्त आराजी का खातेदार दर्ज किया गया है तथा विभाजन के दावे में बंटवारे के आधार पर खातेदारी से मोके पर काबिजकाश्त होकर चली आ रही है और आज भी काबिज काश्त है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत बंटवारा किया जाकर खसरा नम्बर 187/2 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा का खातेदार घोषित करने में त्रुटि कि है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को ना तो जवाबदेही का अवसर दिया और ना ही साक्ष्य पेश करने का अवसर दिये बिना ही लोक अदालत में निर्णय व डिक्री पारित की है, जो निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 11.06.2018 निरस्त किये जावें।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी अपीलांट की पेतृक भूमि है । खसरा नं0 187/2 जो 4 बीघा 15 बीस्वा थी, अपीलांट द्वारा वादग्रस्त आराजी का कभी बेचान नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत में निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने साक्ष्य, जवाबदेही एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया है। वादग्रस्त आराजी पेतृक है जिस पर हमारा अधिकार है

(महेन्द्र सोढा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

वादग्रस्त आराजी का बेचान किसने किसको किया यह स्पष्ट नही है। अतः अपील स्वीकार की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि रोड सिंह नारायण सिंह के लडके है । वादग्रस्त आराजी दिनांक 08.03.1994 को नारायण सिंह को प्रेमबाई ने रजिस्टर्ड बेचान की है। नामांतरकरण सं0 254 खुल गया, इनकी प्राथमिक डिक्री की अपील की गई है जबकि फाईनल डिक्री भी जारी हो चुकी है, फाइनल डिक्री की अपील नहीं की है। अतः अपील मेन्टेनेवल नहीं है। वादग्रस्त आराजी के हम क्रेता है। अतः अपील खारिज की जाये।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 112 को सही माना है जो दिनांक 16–03–1994 को तस्दीक होना भी प्रमाणित पाया गया है। प्रमाण में अधीनस्थ न्यायालय ने रजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर निर्णय किया है जिसमें हम किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है। अपीलांट ने फाइनल डिक्री की अपील भी नहीं की है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11.06.2018 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 26.11.2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिकरी व सीगे अपील

Iud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix G'9)

अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा

महेन्द्र लोढा, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

प्रेमबाई पुत्री सुल्तान सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम लसोडिया, तहसील पचपहाड भवानीमण्डी, जिला झालावाड़ ..... अपीलांट

बनाम

1– रोड सिंह पुत्र नारायण सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम लसोडिया, तहसील पचपहाड भवानीमण्डी, जिला झालावाड़
2– सुरेन्द्र सिंह आत्मज नारायण सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम लसोडिया, तहसील पचपहाड भवानीमण्डी, जिला झालावाड़
3– द्वारका बाई पुत्री नारायण सिंह पत्नी शंकर सिंह, जाति राजपूत, निवासी करावल
4– शामू बाई पत्नी नारायण सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम लसोडिया, तहसील पचपहाड भवानीमण्डी, जिला झालावाड़
5– भगवान सिंह पुत्र सुल्तान सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम लसोडिया, तहसील पचपहाड भवानीमण्डी, जिला झालावाड़ हाल डूंगरखेडी
6– नारायण सिंह पुत्र भगवान सिंह जाति राजपूत, निवासी ग्राम लसोडिया, तहसील पचपहाड भवानीमण्डी, जिला झालावाड़ हाल डूंगरखेडी
7– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपहाड़

..... रेस्पोडेंट

अपील नं. 139/2018 एवं नाराजगी डिकी अदालत – उपखण्ड अधिकारी, भवानीमंडी
मु.द.न 07/दावा/2018 निर्णय अंतिम डिकी दिनाक – 11–06–2018

दावा बाबत

माह अपील व तारीख 10 माह 11 सन् 2020

हाजरी श्री रघुवीर गौड अभिभाषक मिनजानिब अपीलांट एवं श्री सी पी खण्डेलवाल अभिभाषक मिनजानिब रेस्पोडेंट

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 11.06.2018 यथावत रखा जाता है ।

बावत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख 26 माह 11 सन् 2020 को जारी किया गया ।

(महेन्द्र लोढा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा राज.